भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2431
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 25 जुलाई, 2014/3 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

2431. श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री विजय कुमार हांसदाक :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय के दायरे में आने वाले और झारखंड राज्य में अवस्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और एजेंसियां कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत परियोजनाएं शुरू करने के लिए निधियां आवंटित और उपयोग करती रही हैं;
(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस शीर्ष के तहत इन कंपनियों द्वारा आवंटित कुल निधियों और शुरू की गई परियोजनाओं का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है;
(ग) क्या उक्त कंपनियां सीएसआर निधि से कोई आर्थिक सशक्तिकरण योजना चला रही हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या इन परियोजनाओं की संविदाओं को देने और इन्हें शुरू करने में निधियों के मनमाने उपयोग और अत्यधिक अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या जांच की गई है तथा इस संबंध में उक्त जांच के परिणामों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (च) : कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम, 2013 का प्रशासन करता है जिसके तहत कंपनियों की विशिष्ट श्रेणियों के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) दिनांक 01.04.2014 से

लागू हुआ है। तदनुसार, इस अधिनियम के तहत सीएसआर नीति के कार्यान्वयन का यह प्रथम वर्ष है। सरकारी कंपनियों सहित कंपनियों द्वारा सीएसआर पर व्यय आदि के ब्यौरे चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने और कंपनियां द्वारा अपेक्षित सांविधिक विवरणियां भरने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

*****